# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश आर्य
आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या :– 31/2019

1. झाबरमल पुत्र स्व. गोदाराम उम्र 60 वर्ष
   1/1. महिपाल सिंह पुत्र स्व. झाबरमल
   1/2 श्रीमती मामली देवी पत्नी स्व. झाबरमल
   1/3 प्रर्मिला यादव पुत्री झाबरमल पत्नि रमेशचन्द यादव
   1/4 सुनिता यादव पुत्री स्व. झाबरमल पत्नि लीलाराम यादव
   समस्त जाति अहिर निवासी ग्राम गोपीपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थीगण्

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र चन्दर
2. कमलेश कुमार पुत्र रामजीलाल
3. मनोज कुमार पुत्र रामजीलाल
4. सुरजा पुत्र लादू
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम बामणवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
5. फूलचन्द पुत्र मक्खन
6. बंशीराम पुत्र मक्खन
7. रामौतार पुत्र मक्खन
8. प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल
9. सुवालाल पुत्र कन्हैयालाल
10. अशोक कुमार पुत्र कन्हैयालाल
11. रतीराम पुत्र कन्हैयालाल
12. गुलाब देवी पत्नी कन्हैयालाल
    समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम गोपीपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)
14. सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण्

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) 20(2) राजस्थान भू–राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970 आदेश नियम दिनांक 02/11/1977 बाबत आराजी साबिक खसरा नम्बर 31 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 30 वाके मौजा गोपीपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)**

## निर्णय

दिनांक 19.1.22

प्रार्थीगण् द्वारा धारा 14(4) 20(2) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन 1970) आदेश नियमन दिनांक 02/11/77 बाबत आराजी साबिक खसरा नम्बर 31 रकबा 07 बीघा 02 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 30 वाके मौजा गोपीपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के विरूद्व प्रा.पत्र पेश किया है। प्रस्तुत प्रा.पत्र में वर्णित तथ्य इस प्रकार पेश किये है :–

1 यह है कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 31 जिसके हाल खसरा नम्बर 30/218 31/0.16, 32/0.09, 30/516/1.53 वाके मौजा गोपीपुरा बने हैं। गैर मुमकिन जोहड की भूमि है एवं कदमी से ही मौके पर उपरोक्त भूमि में जोहड बना हुआ है तथा ग्राम गोपीपुरा के आस–पास के पशु आदि उक्त जोहड में पानी पीते है।

2. यह है कि गै0मु0 जोहड की भूमि कानूनन किसी भी व्यक्ति को आवंटन एवं नियमन नहीं की जा सकती तथा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् गै0मु0 जोहड की भूमि को न तो आवंटन किया जा सकता है ना ही नियमन किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थीगण्संख्या 01 लगायत 12 व उनके बुजुर्गान द्वारा गलत रूप से साज कर उक्त भूमि को स्वयं का नियमन होना दर्शाते हुये खातेदारी दर्ज करवाली जो विधि विरूद्व होने के कारण उपरोक्त नियमन खारिज किये जाने योग्य है।
3. यह है कि प्रार्थी को उपरोक्त भूमि के नियमन की जानकारी दिनांक 29/8/2019 को अप्रार्थीगण् द्वारा उपरोक्त जोहड में मिट्टी डालकर जोहड को मौके से तब्दीली करने का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि की जमाबंदी व नामा. आदि पटवारी हलका व रिकॉर्ड रूम से प्राप्त करने से उक्त नियमन की जानकारी हुयी, जिस पर प्रार्थी ने बिना देरी किये श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया है।
4. यह है कि कानूनन गै0मु0 जोहड की भूमि किसी भी व्यक्ति को ना तो आवंटन की जा सकती है ना ही नियमन की जा सकती है एवं माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्य न्यायालय के निर्णय अनुसार गै0मु0 जोहड की भूमि ना तो किसी व्यक्ति को आवंटन की जा सकती है ना ही नियमन की जा सकती है ना ही खातेदारी दी जा सकती है, परन्तु विधि विरूद्व रूप से अप्रार्थी सुरजा तथा मक्खन व चन्दर ने उक्त भूमि का नियमन स्वयं के नाम करवा हाल राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करवा ली कानूनन उपरोक्त नियमन शुरू से ही शुन्य है।
5. यह है कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय के पालनार्थ उक्त गै0मु0 जोहड की भूमि में दी गयी खातेदारी को निरस्त कर पूर्व की स्थिति यानि गै0मु0 जोहड पूर्व की स्थिति दर्ज किया जाना आवश्यक है।
6. यह है कि नियमन आदेश दिनांक 02/11/1977 विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
7. यह है कि उपरोक्त आराजी साबिक ख.नं. 31 जिसके हाल ख.नं. 30/2.18, 31/0.16, 32/0.09 वाके मौजा गोपीपुरा बन हैं। कदमी से गै0मु0 जोहड मौके पर मौजूद है तथा जोहड की भूमि कभी भी काश्त के उपयोग में नहीं आती है ना ही चन्दर पुत्र भूरा व सूरजा मक्खन पुत्रान् लादू द्वारा उक्त भूमि काश्त की गयी, परन्तु उनके द्वारा गलत दस्तावेजात् तैयार कर विधि विरूद्व रूप से गै0मु0 जोहड की भूमि को स्वयं के नाम नियमन करवा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा लिया जो विधि विरूद्व होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।
8. यह है कि प्रार्थी को उपरोक्त भूमि के नियमन की जानकारी दिनांक 29/8/2019 को अप्रार्थीगण् द्वारा उपरोक्त जोहड में मिट्टी डालकर जोहड को मौके से तब्दील करने का प्रयास करने पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त भूमि की जमाबंदी व नामा. आदि पटवारी हल्का व रिकॉर्ड रूम से प्राप्त करने उक्त नियमन की जानकारी हुयी जिस पर प्रार्थी ने बिना देरी किये श्रीमान् के समक्ष उपरोक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।
9. यह है कि प्रार्थना–पत्र नियत कोर्ट फीस पर पेश है।

10. यह है कि उपरोक्त नियमन रजिस्टर में अंकित अप्रार्थी का आवंटन निरस्त करने बाबत अधिकार श्रीमान् न्यायालय को है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आदेश नियमन दिनांक 02/11/1977 बाबत आराजी साबिक ख.नं. 31 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा हाल ख.नं. 30 वाके मौजा गोपीपुरा तहसील कोटपूतली को खारिज कर उपरोक्त आराजी हाल ख.नं. 30/516/1.53, 31/0.16, 32/0.09 वाके मौजा गोपीपुरा तहसील कोटपूतली को सिवायचक गै0म0 जोहड राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

11. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी। रिपोर्ट समायत पायी जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण् की तल्बी हेतु सम्मन नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से श्री जितेन्द्र रावत एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर उपस्थित हुये। शेष अप्रार्थीगण की तल्बी रजिस्टर्ड डाक से होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आये । इसलिए उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी संख्य 13 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है।

12. वकील अप्रार्थी संख्या 7 की ओर से जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित किया है कि जिम्मन संख्या 1 लगायत 8 गलत एवं अस्वीकार है तथा विशेष कथन में यह वर्णित किया है कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात् अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान आवंटन/नियमन करीब 44 वर्ष पुर्व हुआ था तभी से अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान व उनकी मृत्यु के आद अप्रार्थीगण् बतौर खातेदार काश्तकार काबिज काश्तकार चले आ रहे है ऐसे लम्बे समय से बतौर खतेदार काश्तकार रहते हुये प्रार्थना–पत्र में वर्णित नियमन आवंटन/नियमन निरस्त नहीं किया जा सकता जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय RR की 1993 पेज 596 में RR D की 2001 पेज 406 में अभिनिर्धारित किया गया है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

13. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बहस में प्रार्थना–पत्र के वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये अभिकथन किया है कि आराजी ख.नं. 31 जिसके हाल खसरा नम्बर 30/2.18, 31/0.16, 32/0.09, 30/516/153 वाके मौजा गोपीपुरा बने हैं। गै0मु0 जोहड की भूमि है एवं कदमी से ही मौके पर उपरोक्त भूमि में जोहड बना हुआ है। जोहड की भूमि को ना तो आवंटन किया जा सकता है ना ही नियमन किया जा सकता है परन्तु अप्रार्थीगण् संख्या 1 लगायत 12 व उनके बुजुर्गान द्वारा गलत रूप से साज कर नियमन दर्शाते हुए खातेदारी दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्ध है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार गै.मु. जोहड की भूमि ना तो किसी व्यक्ति की आवंटन की जा सकती एवं ना ही नियमन किया सकती है ना ही किसी व्यक्तियों को खातेदारी दी जा सकती है परन्तु अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान ने उक्त भूमि को स्वयं के नाम नियमन करा ली गयी एवं राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज करा ली गयी जो शुरू से ही शून्य है। अतः नियमन

आदेश 02/11/77 को विधि विरूद्व होने के कारण खारिज योग्य है। मौके पर गै.मु जोहडी है चन्द्र पुत्र भूरा व सूरजा मक्खन पुत्रान् लादू द्वारा कभी काश्त नहीं की है। प्रार्थी को नियमन की जानकारी 29/8/2019 को अप्रार्थीगण् द्वारा जोहड में मिट्टी डालकर मौके से तब्दील करने के प्रयास करने पर नकले प्राप्त करने पर हुयी, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् धारा 16 के तहत् गै0मु0 जोहड की भूमि ना तो आवंटन की जा सकती है ना ही नियमन किया जा सकता है। अतः नियमन आदेश 02/11/1977 बाबत आराजी साबिक ख.नं. 31 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा हाल ख.नं. 30 वाके मौजा गोपीपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को खारिज करने के आदेश फरमावें।

14. अप्रार्थीगण् वकील द्वारा अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दौहराते हुये अभिकथन किया कि उक्त भूमि कभी भी जोहड की भूमि नहीं रही है ना ही मौके पर जोहड है बल्कि अप्रार्थीगण् बतौर काश्तकार काबिज है। धारा 16 का कभी उल्घंन नहीं किया है। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से ही काश्त करते आ रहे मौके पर कोई जोहड नहीं है बल्कि फसल खडी है। प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजीयात् के अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान का आवंटन/नियमन करीब 44 वर्ष पूर्व हुआ था तथी से अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान एवं उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण् बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। ऐसे लम्बे समय बतौर खातेदार रहते हुये नियमन/आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता वकील अप्रार्थीगण् ने माननीय उच्चतम न्यायालय RR की 1993 पेज 596 में एवं RRD की 2001 पेज 406 का अभिनिर्धारित का हवाला दिया।

15. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजात् का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत की गयी उभय पक्षों की बहस पर मनन करने पर एवं नायब तहसीलदार क जवाब से पाया कि नायब तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार ग्राम गोपीपुरा के हाल ख.नं. 30/0.65 है0, 30/0.65 है0, 30/516 रकबा 1.53 है0, 32/0.09 है0 स्थित है। उक्त ख.नं. हाल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2037 से 2056 में ख.नं. 30/2.18 है., 31/0.16 है., 32/0.09 है. सिवायचक बिना लगानी किस्म भूमि गै.मु. जोहड है। उक्त खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक ख.नं. 31 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा से बने है। मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2005 के खाता संख्या 15 में सरकार दौलत कदार गै0मु0 जोहड दर्ज है। हाल जमाबंदी में ख.नं. 30/516 रकबा 1.53 है0 31/0.16 है0 , 32/0.09 है0 गुलाबी देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति गुर्जर वगैरह की खातेदारी में दर्ज है। उक्त भूमि साबिक एवं हाल मिसल बन्दोबस्त अनुसार गै0मु0 जोहड होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। भूमि अब्दुल रहमान से सम्बन्धित है। हाल ख.नं. 30/516 रकबा 1.53 है0, 31/0.16 है0, 32/ 0.09 है0 की खातेदारी विधि विरूद्व होने से खारिज की जाकर व गै0मु0 जोहड किया जाने हेतु विधि सम्मत निर्णय पारित करने का जवाब में वर्णित किया है।

चूँकि आराजी ख.नं. 31 जिसके हाल ख.नं. 30/2.18, 31/0.16, 32/0.09, 30/516/1.53 वाके मौजा गोपीपुरा बने हैं। उक्त ख.नं. हाल मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2037 से 2056 में ख.नं. 30/2.18 है0, 31/0.16 है0, 32/0.09 है0 सिवायचक बिना लगानी किस्म भूमि गे0मु0 जोहड है जो अप्रार्थीगण् की खातेदार में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि गै0मु0 जोहड होने के कारण आवंटन योग्य नहीं थी। गै0मु0 जोहड की भूमि ना तो आवंटन की जा सकती है ना ही नियमन की जा सकती है, परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 12 व उनके बुजुर्गान द्वारा नियमन दर्शाते हुये खातेदारी दर्ज करायी है जो नियम विरूद्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 16 का उल्लघंन हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार गै0मु0 जोहड की भूमि ना तो आवंटन की जा सकती है तथा ना ही नियमन की जा सकती है। अतः अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान द्वारा कराया गया नियमन आदेश 02/11/1977 विधि विरूद्व है जो खारिज योग्य है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना उचित है जो स्वीकार योग्य है।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) 20(2) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण् के बुजुर्गान के हक में दिनांक 02/11/1977 को हुआ नियमन आदेश वाके ग्राम गोपीपुरा तहसील कोटपूतली का अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है

17. निर्णय आज दिनांक 19.1.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)